बिन्दु 7

किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं।

नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधि से परामर्श के लिए बनायी गयी व्यवस्था का विवरण :

विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत स्थापित है। विश्वविद्यालय के संपूर्ण कार्यकलापों के संचालन हेतु प्रबन्ध परिषद का गठन किया गया है, जिसमें जन प्रतिनिधि, शासन के उच्च अधिकारी, प्रगतिशील कृषक, उद्योगपति आदि सदस्य होते हैं, जो कृषि विकास की शिक्षण, शोध एवं प्रसार की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए नीति निर्धारण करते हैं। जिनका अनुपालन विश्वविद्यालय के सभी विभाग करते हैं।

वर्तमान में प्रबन्ध परिषद में निम्न सदस्य हैं :

कुलपति, गो0ब0 पंत कृषि एवं प्रौ0 वि0वि0, पन्तनगर, जिला– ऊधमसिंह नगर।	सचिव, शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।	सचिव, कृषि, उत्तराखण्ड, देहरादून।
निदेशक, पशुपालन, उत्तराखण्ड, गोपेश्वर, जिला चमोली।	निदेशक कृषि, उत्तराखण्ड नन्दा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून।
श्री नवप्रभात, मा0 विधायक, 4ए, दून विहार, आवास विकास कालोनी, जाखन, राजपुर रोड, देहरादून।	श्री राजेश शुक्ला, म0 विधायक, शुक्ला फार्म, रूद्रपुर, उधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड।
डा0 अरविंद कुमार, उप महानिदेशक (शिक्षा), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, अनुसंधान भवन –।।, पूसा, नई दिल्ली – 110012	श्री राजेन्द्र पाल सिंह, ग्राम – अलखदेवी, पो0ओ0 – प्रेमनगर, तहसील – गदरपुर, उधमसिंहनगर।
श्रीमती प्रेमलता सिंह, पत्नी डा0 रवि प्रताप सिंह, म0नं0 437 आवास विकास कालोनी, रूद्रपुर, उधमसिंहनगर।	डा0 रमेश चन्द्र सिंह मेहता, (पंजीकृत स्नातक) ग्राफिक ऐरा पर्वतीय विश्वविद्यालय, भीमताल, जिला – नैनीताल, उत्तराखण्ड।
डा0 मोहन चन्द्र नौटियाल, पूर्व अधिष्ठात, पंतनगर विश्वविद्यालय, दून इन्क्लेव, नकरौंदा रोड, हर्रावाला, देहरादून।	सुश्री शिल्पी अरोडा, 256 आवास विकास, नियर सिटी मॉडल स्कूल, गदरपुर, उधमसिंहनगर।